(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1227-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 20-3-2012 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 530/2004-05 अपील

जागीबल प्रताप सिंह उर्फ साहब बहादुर सिंह
पुत्र रंगबहादुर सिंह चंदेल निवासी दुअरा
तहसील चितरंगी जिला सीधी ---आवेदक

विरूद्ध

1- महिला मटरी पत्नि स्व. रामरूप बेगा
2- विश्राम पुत्र स्व. रामरूप बेगा
दोनों ग्राम दुअरा तहसील चितरंगी जिला सीधी
3- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0बी0सिंह)
(आवेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 530/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार चितरंगी को आवेदन देकर बताया कि ग्राम दुअरा की भूमि सर्वे नंबर 401 जुज रकबा 2.00 है. का वह भूमिस्वामी है। उस पर अनावेदकगण का प्लाट बना दिया

गया है जिसे सुधारा जाय। तहसीलदार चितरंगी ने प्रकरण कमांक 58 अ-5/2002-03 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक से जॉच कराकर आदेश दिनांक 15-12-2004 पारित करके राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को स्वीकार करके सुधार करने का निर्णय दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी ने प्रकरण कमांक 83/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-8-2005 से अपील इस आधार पर स्वीकार की कि तहसीलदार को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 की शक्तियॉ प्राप्त न होने से तहसीलदार का आदेश दिनांक 15712-04 अधिकारिता विहीन है। अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 530/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2012 से अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन कियागया।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को पर विचार करने, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने तहसीलदार चितरंगी के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसकी शीर्षक इस प्रकार है :-

" प्रार्थना पत्र वावत् कराये जाने वावत सॅशोधन कार्यवाही अंतर्गत धारा 89 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 भूमि ग्राम दुअरा आ.क. 401 जुज रकबा 2.00 हैक्टर "

तहसीलदार चितरंगी ने प्रकरण कमांक 58 अ-5/2002-03 में आदेश दिनांक 15-12-2004 पारित करके भूमि सुधार के आदेश दिये हैं इस आदेश

को अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी ने प्रकरण कमांक 83/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-8-2005 से निरस्त किया है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 20-3-2012 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया गया है :-

" प्रकरण का विवेचन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में नायब तहसीलदार द्वारा चरोखर की भूमि को आवेदक के नाम किये जाने को अवैधानिक बताया है। मेरे द्वारा प्रकरण का परिशीलन किया गया। चरोखर की भूमि को निस्तार पत्रक से प्रथक करने की अधिकारिता नायब तहसीलदार को नहीं है बल्कि ये शक्तियां कलेक्टर को वांछित है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रृटि न होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा जाता है एंव अपील खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार चितरंगी द्वारा प्रकरण कमांक 58 अ-5/2002-03 मे पारित आदेश दिनांक 15-12-2004 अधिकारिता-विहीन होने से निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी द्वारा आदेश दिनांक 10-8-2005 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 20-3-2012 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 530/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-3-2012 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता हैं।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर